

उत्तराखण्ड शासन
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग
संख्या :- /XIV-2/2021/7(6)/2013
देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

पेराई सत्र 2021-22 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का मूल्य निर्धारण किये जाने हेतु गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से जुड़े समस्त पक्षों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त शासन को इस संबंध में परामर्श प्रदान किये जाने हेतु एतद्वारा "राज्य परामर्शी समिति" गठित की जाती है। समिति का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1-अध्यक्ष :-

सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2-गन्ना क्षेत्र के विशेषज्ञ :-

- (1) डॉ० एम०एल० शर्मा, विभागाध्यक्ष कृषि अर्थशास्त्र विभाग, पं० गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)।
- (2) डॉ० आर०एस० जादौन, डीन, सी०ए०डी०एन०, (अधिष्ठाता कृषि विपणन प्रबन्धन महाविद्यालय), पं० गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)।
- (3) डॉ० आनन्द सिंह जीना, प्रभारी अधिकारी, गन्ना शोध एवं अनुसंधान केन्द्र काशीपुर।

3-चीनी मिल प्रतिनिधि :-

- (1) प्रधान प्रबन्धक (नाम से) दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, नादेही जनपद ऊधमसिंह नगर।
- (2) अधिशासी निदेशक (नाम से) डोईवाला शुगर फैक्ट्री लि०, डोईवाला (देहरादून)।
- (3) प्रधान प्रबन्धक (नाम से) मैसर्स आर०बी०एन०एस० शुगर मिल्स लि०, लक्सर (हरिद्वार)।

4-कृषक प्रतिनिधि :-

- (1) श्री कृष्ण कुमार सिंह, निवासी लण्डौरा, तहसील रुड़की, हरिद्वार।
- (2) श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह निवासी ब्रह्मपुर जट्ट, पो० गुरुकुल, नारसन, हरिद्वार।
- (3) श्री शेषराज सैनी पुत्र स्व० श्री इन्दर सिंह सैनी, निवासी शाहपुर शीतलाखेड़ा, तहसील व जनपद हरिद्वार।
- (4) श्री ब्रजमोहन पोखरियाल पुत्र श्री कन्हैया लाल पोखरियाल, निवासी रसूलपुर गोठ, लालढाँग, तहसील व जनपद हरिद्वार।
- (5) चौधरी सतेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री जगदीश्वर सिंह, निवासी चौधरी फार्म, सहदौरा, किच्छा, जनपद ऊधमसिंहनगर।
- (6) श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व० श्री त्रिलोक सिंह, निवासी लामाचौड़, हल्द्वानी, जनपद ऊधमसिंहनगर।
- (7) श्री उमेश सिंह चौहान पुत्र श्री कीरत सिंह चौहान, निवासी ग्राम पित्तवाला, पो० मेहूवाला, माजरा, जनपद देहरादून।

5-संयोजक :-

गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।


उपरोक्त परामर्शी समिति समस्त पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगी, समिति की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त विस्तृत रूप से बनाया जायेगा। समिति समस्त पक्षों से विचार-विमर्श करेगी तथा अपना परामर्श यथाशीघ्र शासन को प्रस्तुत करेगी, ताकि विधि अनुसार गन्ना मूल्य घोषित किया जा सके।

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव

संख्या : 725(1)/XIV-2/2021/7(6)/2013 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव, सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
3. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड काशीपुर, उधमसिंहनगर ।
4. जिलाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार ।
5. समस्त नामित सदस्यगण ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
उप सचिव